International Journal of Hindi Research
ISSN: 2455-2232; Impact Factor: RJIF 5.22
Received: 25-07-2020; Accepted: 10-08-2020; Published: 26-08-2020
www.hindijournal.com
Volume 6; Issue 4; 2020; Page No. 120-122

कश्मीर पर भारत का विजय

अयोध्या प्रसाद सिंह

एसोसिएट प्रोफ़ेसर व विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, एस० एम० (पी०जी०) कॉलेज चन्दौसी जिला सम्भल, उत्तर प्रदेश, भारत

प्रस्तावना

बीते 04 सितंबर, 2020 को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जे० पी० नड्डा ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने तथा उसे दो केन्द्र शासित प्रदेशों में बांटने को एक ऐतिहासिक कदम बताया गया है I यह 11 मिनट का वीडियो है, जिसके लगभग अन्त में माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहते हैं कि सरदार बल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों नेहरू की कश्मीर नीति के खिलाफ थे I वीडियो के अनुसार सरदार पटेल ने 562 देसी रियासतों का भारत में सफल ढंग से विलय करवा दिया परन्तु कश्मीर मुद्दे को नेहरू ने अपने हाथ में ले लिया तथा राज्य को विशेष दर्जा देने की भयंकर भूल की I

1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कश्मीर के महाराजा भारत अथवा पाकिस्तान में कश्मीर के विलय को लेकर कोई निर्णय नहीं ले पाये I 22 अक्टूबर, 1947 को उत्तरी सीमा प्रान्त के कबालियों के साथ मिलकर पाकिस्तानियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया I 26 अक्टूबर, 1947 को तत्कालीन महाराजा ने भारत सरकार से सैनिक सहायता की मांग की तथा कश्मीर को भारत में विलय करने की प्रार्थना की I भारत सरकार ने कश्मीर को भारत में मिला लिया तथा सैन्य सहायता पहुंचाकर कबालियों को भगा दिया I संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव पर 1 मई, 1949 की मध्य रात्रि को युद्ध विराम हो गया परिणामस्वरूप कश्मीर का 32 हजार वर्गमील क्षेत्र पाकिस्तान के पास रह गया I जिसे पाकिस्तान, आजाद कश्मीर कहता है तथा 53 हजार वर्गमील क्षेत्र भारत के पास रहा जो जम्मू और कश्मीर है I महाराजा हरि सिंह ने इस समस्या का हल निकालने के लिए शेख अब्दुल्ला को मार्च, 1948 में कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया एवं कश्मीर राज्य के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के निर्माण की घोषणा की I 20 जनवरी, 1951 को सभा ने एक अंतरिम संविधान स्वीकार किया जिसमे महाराज की

(1)

शक्तियों को समाप्त कर दिया गया I फरवरी, 1954 में संविधान सभा ने कश्मीर के भारत विलय की पुष्टि कर दी I 26 जनवरी, 1957 को जम्मू-कश्मीर का संविधान लागू कर दिया गया I भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया I जम्मू-कश्मीर एक मात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना एक संविधान है I इस संविधान की प्रस्तावना में जम्मू-कश्मीर के विलय की बात कही गयी है I साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर भारत संघ का अखण्ड भाग है I अनुच्छेद 370 के द्वारा कश्मीर में स्थाई रूप से रहने वालों को विशेष स्थिति प्रदान की गई है I इस स्थिति के अनुसार वहां के निवासी भारत के किसी भी प्रान्त में निवास कर सकते हैं, सम्पत्ति क्रय कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, परन्तु भारत के अन्य प्रदेशों के नागरिक कश्मीर में स्थाई रूप से नहीं रह सकते हैं और न ही कश्मीर शासन की सेवा में शामिल हो सकते हैं और न ही वहाँ जमीन खरीद सकते हैं I

कश्मीर का भारत में विलय पाकिस्तान सरकार को आरम्भ से ही अखरता रहा है I 1947 के पश्चात् पाक की सरकारें भारत के अधीन कश्मीर पर अपना दावा प्रस्तुत करती रही हैं तथा उन्होंने 1947, 1965, 1971 एवं 1999 में भारत के साथ युद्ध किया है I हालांकि पाक को हर बार पराजित होना पड़ा है I पाकिस्तान सरकार अब सीधे युद्ध को बन्द करके, कश्मीर के नवयुवकों को गुमराह कर अपनी सेना को उग्रवादी और आतंकवादी बनाकर अपने यहां के प्रशिक्षण शिविरों में उन्हें प्रशिक्षण देकर और हथियारों से लैस कर न केवल जम्मू-कश्मीर सीमा में बल्कि अन्य राज्यों की सीमाओं में भी प्रवेश कराकर उग्रवाद को संचालित कर रही है I

भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फीकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ I जिसमे निर्णय लिया गया कि कश्मीर समस्या को भारत और पाकिस्तान आपस में मिलकर ही सुलझायेंगे तथा इस समस्या को न अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया जायेगा और न ही संयुक्त राष्ट्र संघ में I लेकिन स्थिति ऐसी रही कि पाक की अपनी राजनीति में और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में वहां का कोई भी राजनेता कश्मीर समस्या को उठाने में नहीं चुका I पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने 1998 में तथा पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के अधिवेशन में भी इस मामले को उठाया I

(2)

लाहौर घोषणापत्र में भी यह तय किया गया था कि भारत-पाकिस्तान की सरकारें सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रयास तेज करेंगी परंतु ऐसा नहीं हुआ I लाहौर घोषणापत्र की स्याही सूखी भी नहीं थी कि कश्मीर की उत्तरी-पश्चिमी सीमा पर कर्रागण जिले के खन्दकों में बारूद बिछने लगा I पाक सेना ने आतंकवादियों को साथ लेकर कश्मीर की भारतीय सीमा पर श्रीनगर-कारगिल-लेह राजमार्ग के आसपास की

पहाड़ियों में मोर्चा ले लिया और आपसी विश्वास को खत्म कर दिया I इस प्रकार शान्ति के स्थान पर भारत पर चौथा कश्मीर युद्ध थोप दिया I कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पुनः परास्त हुआ I कारगिल युद्ध को लेकर पाकिस्तान की राजनीति एवं सेना के मध्य गहरा मतभेद रहा जिसके फलस्वरूप प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सेना के प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ को बर्खास्त कर दिया तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की सरकार का ही तख्ता पलट दिया I जनरल परवेज मुशर्रफ के शासन में ही भारतीय संसद पर आतंकी हमला हुआ तथा लगभग छ: माह तक भारत व पाकिस्तान की सेनाएं आमने-सामने डटीं रहीं I 2004 के दक्षेस इस्लामाबाद सम्मेलन के पश्चात भारत-पाक रिश्तों में तनाव शिथिल करने की शुरुआत हुई और कश्मीर के मुद्दे को गौणता प्रदान की गई I मुशर्रफ के शासन के पश्चात जरदारी शासन में मुम्बई में ताज हमले के बाद भारत-पाक रिश्तों में तनाव रहा I कश्मीर मुद्दा फिलहाल शान्त रहा I

भारत-पाक के मध्य आर्थिक-सांस्कृतिक सम्बन्धों को बढ़ावा दिया गया, दोनों देशों के बीच बाड़मेर से ट्रेन शुरू की गयी I

वर्तमान मे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया I केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर में धारा 370 को निष्क्रिय करने के लिए राज्य सभा में एक प्रस्ताव रखा I धारा 370 का सेक्सन 3 राष्ट्रपति को जम्मू-कश्मीर को दिया गया विशेष दर्जा किसी भी वक्त निष्क्रिय करने का अधिकार देता है I अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, उसे पूरा करने के लिए इस प्रावधान का प्रयोग किया I राष्ट्रपति आदेश जारी किया गया, जिसकी पार्टी लम्बे समय से मांग कर रही थी I अनुच्छेद 370 (3) के अनुसार राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा यह घोषणा कर सकते हैं कि यह धारा निष्क्रिय होगी I

(3)

राष्ट्रपति के इस आदेश पर राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ I गुलाम नबी आजाद सहित सभी विपक्षी नेताओं ने इस कदम का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने संविधान की हत्या की है इस पर श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने वही किया है जो 1952 और 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था I

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिलने के बाद अनुच्छेद 370 खत्म हो गया I इस फैसले का मतलब है कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को मिले विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं अर्थात जम्मू-कश्मीर भी भारत के अन्य राज्यों की तरह एक सामान्य राज्य हो गया है I सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 के खात्में के साथ-साथ अनुच्छेद 35-ए भी खत्म हो गया है जिससे राज्य के 'स्थायी निवासी' की पहचान होती थीI

मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 के खात्मे के साथ-साथ प्रदेश के पुनर्गठन का भी प्रस्ताव किया गया है जो निम्न्लिखित है -

1. जम्मू-कश्मीर अब राज्य नहीं रहेगा I
2. जम्मू-कश्मीर की जगह अब दो केन्द्र शासित प्रदेश होंगे I
3. एक का नाम होगा जम्मू-कश्मीर तथा दूसरे का नाम होगा लद्दाख I
4. दोनों केन्द्र शासित प्रदेशों का शासन लेफ्टिनेंट गवर्नर (उप राज्यपाल) के हाथ में होगा I
5. जम्मू-कश्मीर की विधायिका होगी जबकि लद्दाख में कोई विधायिका नहीं होगी I
6. अनुच्छेद 370 का केवल एक खण्ड बाकी रखा गया है जिसके तहत राष्ट्रपति किसी बदलाव का आदेश जारी कर सकते हैं I
7. गृहमंत्री ने बताया है कि केन्द्र शासित प्रदेश का दर्जा देने का प्रस्ताव वहाँ की सुरक्षा की स्थिति तथा सीमा पार से आतंकवाद की स्थिति को ध्यान में रखकर लिया गया है I
8. अब अनुच्छेद 370 खत्म होने के पश्चात् अब सबके लिए नौकरी का रास्ता खुल जायेगा I

(4)

9. अब तक कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती थी परन्तु अब सीधे केन्द्र सरकार के अधीन होगी और गृहमंत्री प्रदेश में अपने प्रतिनिधि उप राज्यपाल के जरिये कानून-व्यवस्था संभालेंगे I
10. संसद की ओर से बनाये गए हर कानून अब वहाँ प्रदेश की विधानसभा की मंजूरी के बिना लागू होंगे I
11. सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों पर भी अमल लागू हो जायेगा I
12. प्रदेश में अलग झण्डे की अहमियत नहीं होगी, इसका भविष्य संसद या केन्द्र सरकार आधिकारिक तौर पर तय करेंगी I
13. जम्मू-कश्मीर का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर अब 5 वर्ष कर दिया गया है I
14. महिलाओं पर लागू स्थानीय पर्सनल कानून खत्म हो जायेगा I
15. संसद या केन्द्र सरकार तय करेगी कि इसके बाद आई०पी०सी० की धाराएं प्रदेश में लागू होंगी या स्थानीय रनवीर पीनल कोड (आर०पी०सी०) I
16. इस पर भी निर्णय लिया जायेगा कि पहले से लागू स्थानीय पंचायत कानून जारी रहेंगे या उन्हें बदल दिया जायेगा I

सन्दर्भ सूची

1. डॉ० पीटर हैमण्ड: स्लेवरी, टेरेरिज्म एण्ड इस्लाम, द हिस्टोरिकल
2. रूट्स एण्ड कन्टैम्पेरेरी थॉट
3. उदय इण्डिया : अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका, 17.07.2010
4. जय कुमार: निदेशक, विश्व सम्वाद केन्द्र, देहरादून
5. आशीष कौल: दिद्दा - द वारियर क्वीन ऑफ़ कश्मीर, रूपा पब्लिकेशन्स इण्डिया, पृ० 232
6. आशीष कौल: रिफ्यूजी कैम्प
7. जगमोहन: दहकते अंगारे, 1994
8. नवनीत मिश्रा: आज तक पत्रिका, में जगमोहन दो बार राज्यपाल रहे I राजभवन में भी फोन उठा था कि हमें बचा लो, नई दिल्ली 6 अगस्त 2019

9. 9. अजेय कुमार: नजरिया - कश्मीर समस्या के लिए क्या नेहरू जिम्मेदार ?
10. सतीश वर्मा: कश्मीर - एक अन्तहीन जंग, प्रकाशक डायमण्ड पॉकेट बुक्स
11. सतीश वर्मा: पाकिस्तान की हकीकत से रुबरू
12. बलराज मधोक: कश्मीर जीत में हार, प्रकाशक - हिंदी साहित्य सदन, 2012
13. सत्याग्रह: हिंदी समाचार पत्र
14. पुखराज जैन: भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन, साहित्य भवन आगरा
15. डॉ० जे सी जौहरी: अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, एस० वी० पी० डी० पब्लिकेशन्स, आगरा
16. दुर्गादास: सरदार पटेल्स कॉरेस्पॉन्डेन्स, 1945-50
17. डॉ० एन०सी० मेहरोत्रा: सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एवं व डॉ० रंजना कपूर विचार, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली 2012
18. वी० पी० मेनन: दि स्टोरी ऑफ़ दि इन्ट्रीग्रेशन ऑफ़ द इण्डियन स्टेट्स, ओरियन्ट लांगमैन कलकत्ता, 1956
19. के० एम० मुन्शी : इण्डियन कॉन्सटीट्यूशनल डाक्यूमेंट्स वाल्यूम टू, बम्बई, 1967
20. समाचार पत्र : दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, अमर उजाला, अमर प्रभात, नरसिंह प्रहरी, नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर, राष्ट्रीय सहारा